संख्या: 468 /xxx(2)/2005

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
   उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तरांचल शासन ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तरांचल ।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 18 अप्रैल, 2005

विषय: अनारक्षित रिक्तियों के विरूद्ध ज्येष्ठता कम में आने वाले अनु0जाति/जनजाति श्रेणी के व्यक्तियों की पदोन्नति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये है कि किसी पद पर पदोन्नति हेतु अनारक्षित पद उपलब्ध हो, और पात्रता क्षेत्र में अनु0 जाति/जनजाति वर्ग का कार्मिक ज्येष्ठता क्रम में उपलबध हो तो उसकी पदोन्नति अनारक्षित वर्ग की रिक्ति के विरूद्ध की जायेगी अथवा नहीं । इस सम्बन्ध में भारत सरकार में प्रचलित व्यवस्था की जानकारी की गई । भारत सरकार में इस सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था विद्यमान है:-

1. यदि किसी संवर्ग में कोई अनारक्षित रिक्ति हो और पदोन्नति की दृष्टि से पोषक संवर्ग प्रक्रम में सामान्य विचारण-क्षेत्र के अन्तर्गत कोई अनु0 जाति/जनजाति का कार्मिक आ रहा हो तो अनु0 जाति/जनजाति के ऐसे कार्मिक को महज इस दलील पर पदोन्नत करने से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उपर्युक्त रिक्त पद आरक्षित नहीं है । अनु0 जाति/जनजाति के ऐसे कार्मिक को सामान्य श्रेणी का कार्मिक मानकर उसे, अन्य पात्र कार्मिकों के साथ-साथ पदोन्नत करने पर विचार किया जाय । यदि वह चुन लिया

D.O.I.

जाय तो उसे उपयुक्त रिक्त पद पर नियुक्त कर दिया जाय और उसे उपयुक्त आरक्षण-रोस्टर के अनारक्षित बिन्दु पर समायोजित कर दिया जाय ।

2. सीधी भर्ती या पदोन्नति से अपनी ही योग्यता पर नियुक्त और आरक्षण-रोस्टर के अनारक्षित बिन्दुओं पर समायोजित अनु0 जातियों/जनजातियों के कार्मिक, अपने किसी अनु0 जाति/जनजाति का होने की स्थिति कायम रखेंगे और वे भविष्य में आरक्षण का लाभ/आगे कोई और पदोन्नति प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

3. चूंकि गैर-चयन द्वारा पदोन्नतियों के मामलों में पदोन्नतियाँ वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर की जाती है तथा ऐसी पदोन्नतियों में योग्यता की अवधारणा शामिल नहीं है । अतः उक्त बिन्दु 01 तथा 02 गैर-चयन द्वारा की गई पदोन्नतियों पर लागू नहीं होगा ।

2. इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये (संलग्न) दिशा-निर्देशों के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ''योग्यता'' (मैरिट) के आधार पर किये जाने वाले चयनों में किसी संवर्ग में कोई अनारक्षित रिक्ति हो और पदोन्नति की दृष्टि से पोषक संवर्ग में सामान्य-विचारण क्षेत्र के अन्तर्गत अनु0 जाति/जनजाति का कार्मिक ज्येष्ठता क्रम में आ रहा हो तो, अनु0 जाति/जनजाति के ऐसे कार्मिक को केवल इस आधार पर पदोन्नति से वंचित नही किया जा सकता है कि रिक्त पद आरक्षित नहीं है । अनु0 जाति/जनजाति के ऐसे कार्मिक को सामान्य श्रेणी का कार्मिक मानकर उसे अन्य पात्र कार्मिकों के साथ-साथ पदोन्नति करने पर विचार किया जाय और उसे चयन होने की दशा में आरक्षण-रोस्टर में अनारक्षित बिन्दु पर समायोजित कर दिया जाय । ऐसा कार्मिक अनु0 जाति/जनजाति श्रेणी का होने की स्थिति कायम रखेंगे और भविष्य में आरक्षण का लाभ/आगे कोई और पदोन्नति प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार योग्यता के आधार पर किये जाने वाले चयनों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव ।

D.O.

संख्या: 468/xxx(2)/2005,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल हरिद्वार ।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल ।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल ।
4. निदेशक, एन0आई0सी0,
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
6. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
संयुक्त सचिव ।

DOL